(141)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 965–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक आर0आर0सी0दिनांक निल पारित द्वारा तहसीलदार महिदपुर जिला उज्जैन प्रकरण कमांक 83/अ–2/2012–13

मंगलम डेवलपर्स तर्फे भागीदार :–

1– रेहान सलीम गोरी हकिम मौ0गोरी
निवासी 12 जामा मस्जिद रोड उज्जैन

2– अशोक कुमार पिता राजकुमार सोगानी
निवासी महिदपुर

3– अभयकुमार पिता राजकुमार सोगानी
निवासी महिदपुर

4– अनीलकुमार पिता बसंतीलाल सोगानी
निवासी हा0मु0जी–1, एनेक्स चिकित्सा नगर
बाम्बे हास्पिटल के सामने इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला उज्जैन
2– अनुविभागीय अधिकारी महिदपुर जिला उज्जैन
3– तहसीलदार महिदपुर जिला उज्जैन .....अनावेदकगण

श्री योगेश सक्सैना, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/12/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक आर0आर0सी0दिनांक निल के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण से रुपये 18,94,500/– वसूल किये जाने संबंधी नोटिस जारी किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बिना किसी आधार के मनमाने तौर पर प्रीमियम की राशि वसूल किये जाने का नोटिस जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण की भूमि के पास अन्य भूमियों का डायवर्सन कराया गया है उसमें इतना अधिक डायवर्सन की राशि नहीं लगाई गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2013–14 में रुपये 10,66,980/– व 2014–15 में रुपये 9,47,250/– की जो प्रीमियम वसूल की गई है को भी आगे के वर्षो में समायोजित किया जाना चाहिये । तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर उपरोक्त राशि समायोजित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण की ओर से तहसीलदार द्वारा भू–राजस्व की बकाया राशि अदा करने हेतु जारी मांग पत्र के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि मूल आदेश अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 83/अ–2/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 7–5–14 का है, जिसे उनके द्वारा चुनौती नहीं दी गई है । यदि आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित थे, तब उन्हें उक्त आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देना चाहिए था । भू–राजस्व की बकाया अदा करने हेतु जारी मांग पत्र केवल मूल आदेश के पालन में प्रारंभ की गई कार्यवाही होती है, अतः तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में भू–राजस्व की बकाया राशि अदा करने हेतु मांग पत्र जारी करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा भू–राजस्व की बकाया राशि अदा करने हेतु जारी मांग पत्र स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर